यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 54/17 तारीख रजू 27-7-17

उनवान - श्रीमति मीना बनाम किरोड़ी मीणा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 RTAct

प्रार्थिया की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर दिनांक 23-8-17 को पेश हो।

4341.42
28-7-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1 की ओर से श्री हेमन्तकुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी नं० 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इसलिए इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में जाती है। वास्ते जवाब दिनांक 4.10.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय चाहा दिया गया। वास्ते जवाब दिनांक 30.10.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
19.7.19	वकलाय उप०। बहस हेतु समय चाहा। समय दिया गया। बहस हेतु दिनांक 13-8-19 को पेश हो।
13.8.19	वकलाय उप०। बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 22.8.19 को पेश हो।
22.8.19	वकलाय उपस्थित। सायलता ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 492/0.79, 1089/487/0.22 कुल रकबा 1.01 है० में हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल नं. 1 हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है अपने-अपने हिस्से पर काबिज है काश्त कर रहे हैं पक्षकारो ने वर्षो पूर्व ही बाहमी बंटवारा कर रखा है कानूनी रूप से तकासमा नहीं हुआ है। गैरसायल ने धमकी दी है कि प्रशासन ने खेत तो जुतवा दिया है अब हम जुताई करेंगे तथा सायला के कब्जे काश्त के रकबे की डोल मेड व पत्थरों को हटाने की धमकी दी। गांव वालो ने समझा कर वापिस भेज दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि हम इस जमीन पर कब्जा करेंगे। इस कारण से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायल को पाबन्द [illegible] सायला के हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त में [illegible] शांतिपूर्वक काश्त [illegible] दखलत नहीं करें। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया है कि सायला हिस्सा 1/2 [illegible] मेड को नहीं तोडे।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पर काबिज नहीं है बल्कि 1/2 हिस्से पर काबिज है। पक्ष
कारो के मध्य कभी भी बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है। तथा
कथित विक्रय पत्र तारीखी 3.3.2009 फ्रोड व बनावटी है।
तेजसिंह हिस्सा 1/2 पर काबिज था, तेजसिंह को यह आराजी
अपने भाई किरोडी व बहिनो को विरासत में तोतासे मिली
है तेजसिंह के हिस्सा 1/2 पर ही सायला काबिज है। प्रा०
पत्र में अन्य तथ्य गलत दर्ज किये हैं। हिस्सा 1/2 पर गैर
सायल नं. 1 खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के किरोडी
तेजसिंह की बहिने किशन प्यारी वगै० खातेदार हैं तथा
काबिज एवं दखील हैं। दावा चलने योग्य नहीं है। सायला
द्वारा किरोडी व तेजसिंह की बहिनो को पक्षकार नहीं
बनाया है इस बिना पर भी दावा चलने योग्य नहीं
अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्था
वर्णित तथ्यों को अपनी बहस
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को
वकील अप्रार्थी ने अपने
हुए सायला का
किया।

पत्रा

जिला

गैरसायलान

रसायलान के खिलाफ माननीय
या है। जिसमें सायलान को सफलता
है।

0नं0 492, 1089/483 रकबा क्रमशः 0.79है0
टोडाभीम जिला
आर 73 में सायला
की व 1/2 के रिकार्डेड
श्तकार है। तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील
काश्त कर रहे है। पक्षकारान ने वर्षो पूर्व से बाहमी बंटवारा कर
है। कानूनी रूप से तकास्मा नही हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पर काबिज नही है बल्कि 1/2 हिस्से पर काबिज है। पक्ष
कारो के मध्य कभी भी कारमी बँटवारा नहीं हुआ है। तथा
कथित विक्रय पत्र तारीखी 3.3.2009 फ्रोड व बनावटी है।
तेजसिंह हिस्सा 1/2 पर काबिज था, तेजसिंह को यह अराजी
अपने भाई किरोडी व बहिनो को विरासत में तोता से मिली
है तेजसिंह के हिस्सा 1/2 पर ही सायला काबिज है। प्रा०
पत्र में अन्य तथ्य गलत दर्ज किये हैं। हिस्सा 1/2 पर गैर
सायल नं. 1 खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के किरोडी
तेजसिंह की बहिने किशन प्यारी वगै० खातेदार हैं तथा
काबिज एवं दखील हैं। दावा चलने योग्य नही है। सायला
द्वारा किरोडी व तेजसिंह की बहिनो को पक्षकार नही०
बनाया है इस बिना पर भी दावा चलने योग्य नही० है
अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में
वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराकर तथा प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार करने का कथन किया
वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते
हुए सायला का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन
किया।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
ग्राम जौंल की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता
सँख्या 23 की भूमि खसरा नम्बर 49[illegible] 2073 है०
1089/483 रकबा 0.22 है० [illegible] हिस्सा 1/2
की खातेदार काश्तकार है तथा [illegible] की हिस्सा
1/2 का खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक उभय पक्ष दोनो

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner